PBR/निगरानी/रतलाम/भू-रा/2017/2312

मानतीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक: /2017 निगरानी

सुफिया बी पति मोहम्मद खलील खाँ आयु 70 वर्ष धंधा खेती निवासी ग्राम बडावदा तहसील जावरा जिला रतलाम .... आवेदक

विरूद्ध

आरिफजहाँ पति इकबाल मोहम्मद आयु 75 वर्ष धंधा खेती निवासी [redacted] छीपापुरा तहसील जावरा जिला रतलाम .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश 01/06/2017 न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 654/अपील/14–15

....

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

यह कि आवेदक ने उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नंबर 335/1 तीन सौ पैंतीस बटा एक तथा 335/3 तीन सौ पैंतीस बटा तीन कुल रकबा 12.566 हेक्टर बारह दशमलव पॉच छः छः हेक्टर में से 5.5 पॉच दशमलव पॉच बीघा भूमि लगभग सवा पॉच बीघा भूमि स्थित ग्राम बडावदा तहसील जावरा जिला रतलाम है,जिसे आवेदक ने हिबा में प्राप्त किया था। आवेदक वादग्रस्त भूमि की मौखिक हिबा के आधार पर स्वामी हुई और मौखिक हिबा के संबंध में अनावेदक ने आवेदक के हित में स्मरण लेख भी लिखा है। वादग्रस्त भूमि पर आवेदक ने नामांतरण हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 109 व 110 भू.राजस्व संहिता के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील जावरा के समक्ष प्रस्तुत किया था,जो प्रकरण क्रमांक 12/अ–6/2010–11 पर दर्ज हुआ था। उक्त नामांतरण प्रकरण में दिनांक 23/5/2012 को तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए आवेदक का नामांतरण आवेदन स्वीकार किया और आदेश का अमल दरामद करने का आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश के आधार पर आवेदक के नाम का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ।

यह कि उक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड जावरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपील क्रमांक 5/अपील/2012–13 पर दर्ज हुई। उक्त अपील में दिनांक 27/06/2015 को आदेश

निरन्तर..............2

(82) (126)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/2312

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21/07/2017 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	